

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ 12, गुरुवार, शाके 1947- जुलाई 03, 2025 Asadha 12, Thursday, Saka 1947- July 03, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 06, 2025

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2025/डी-624 :- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई किर्ती नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सुन्दर नगर प्रथम के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 840.13 व.ग. (702.44 व.मी.), जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार स्पेशल एरिया दर्शित है एवं जोनल विकास योजना-10 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग दर्शित है एवं जोनल विकास योजना-10 की किसी भी सड़क से प्रभावित नहीं है एवं मास्टर प्लान-2011 अनुसार आवासीय भू-उपयोग दर्शित है। भवन विनियम, 2020 के बिन्दु संख्या 10.2.6 पर अंकित प्रावधानुसार बड़े शहरों में पर्यटन ईकाई भवन न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही अनुज्ञेय किये जाने का उल्लेख है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 12.04.2018 अनुसार पर्यटन नीति के तहत प्रस्तावित पर्यटन ईकाईयों के भू-उपयोग परिवर्तन को व्यापक जनहित की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। जिसके क्रम में सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 07.04.2023 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

भू-उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय समिति की 181वीं बैठक दिनांक 25.02.2025 में लिये गये निर्णयानुसार किर्ती नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सुन्दर नगर प्रथम के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 840.13 व.ग. (702.44 व.मी.) का आवासीय से व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) हेतु सशर्त दिनांक 27.03.2025 को स्वीकृति प्रदान की गई।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुमोदित की गई किर्ती नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सुन्दर नगर प्रथम के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 840.13 व.ग. (702.44 व.मी.) जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 अनुसार स्पेशल एरिया दर्शित है एवं जोनल विकास योजना-10 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग दर्शित है, का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) हेतु सशर्त दिनांक 27.03.2025 जारी किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक.....को जारी की गई है।

निशान्त जैन,

सचिव।